Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
B.P.No. 228/2026, Azamnagar P.S. Case No.- 39/2026
Prahlad Sharma and one another
VS.
State of Bihar

# न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

B.P.No. 228/2026
Azamnagar P.S. Case No.- 39/2026

1. प्रहलाद शर्मा पिता भोला शर्मा, उ0त0 30 वर्ष,
2. रीता देवी पति भोला शर्मा, उ0त0 50 वर्ष,

निवासी सा0 ग्रामः– पुराना मरिया, थाना– आजमनगर,
जिला– कटिहार..........................................................................................आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार ..........................................................................................अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 स0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।
आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री...............................सत्येन्द्र कुमार सिंह।
उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date 19-03-2026 आदेश

1. प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 28.01.2026 से काराधीन उपरोक्त अभियुक्त की ओर से दिनांक 27.02.2026 को विद्वान अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह द्वारा सशपथपत्र नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को प्राप्त करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस सूचक सुखदेव मंडल द्वारा थानाध्यक्ष आजमनगर को एक लिखित आवेदन देते हुए कथन किया गया है कि 27.01.2026 को समय करीब 10:30 बजे सुबह मेरा बेटा पंकज मंडल अपने घर से अपना खेत जा रहा था। इसी दौरान प्रहलाद शर्मा, मुन्ना उर्फ नरसिंह शर्मा, रीता देवी ने मेरे बेटा को घेर लिया और लाठी, डंडा, बांस से मेरे बेटा को जान से मारने के नियत से सिर पर प्रहार करने लगे, जिससे मेरे बेटा का सिर फट गया और मेरा बेटा खून से लहु–लुहान हो गया। उक्त सभी ने मेरा बटा के बांया हाथ के अंगुली को भी जख्म कर दिया। हमलोगों को गांव के लोगों से सूचना मिली कि मेरा बेटा को उक्त सभी ने मारकर बेहोश कर दिया। हमलोग उक्त जगह में जाकर अपने बेटा को उठाया और बेटा का ईलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आजमनगर लेकर आये। मेरा बेटा को बेहतर ईलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से सदर अस्पताल, कटिहार रेफर कर दिया। उक्त सभी ने मेरे बेटा पंकज मंडल को जान से मारने की धमकी दिया है।
3. जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को सुना।
4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उसे पूर्व दुश्मनी के वजह से झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण द्वारा इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण कोई



webjudiciarybihar

अपराध नहीं किये हैं तथा निर्दोष हैं। जख्मप्रतिवेदन के अनुसार जख्म साधारण प्रकृति की है तथा उससे जीवन को कोई खतरा नहीं है। पीड़ित पंकज मंडल एक शराबी किश्म का व्यक्ति है तथा । पक्षकारों के बीच पूर्व से दुश्मनी है। आवेदकगण दिनांक 27.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं आवेदकगण स्थानीय व्यक्ति हैं तथा उसके फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदकगण को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक, कटिहार सरदार यशवंत सिंह द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप लगाया गया है। अतः वह जमानत का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सुखदेव मंडल के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदकगण के विरूद्ध आजजमनगर थाना कांड संख्या– 39/2026 दिनांक 27.01.2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 127, 115(2), 109, 351(2), 3(5) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 2,3,4,5 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका–30 एवं 43 में आवेदकगण के विरूद्ध कोई अन्य आपराधिक मामला दर्ज नहीं पाया गया है। कंडिका 44 से विदित है कि जख्मी पंकज मंडल का जख्म चिकित्सक की राय में साधारण प्रकृति का कठोर एवं कुन्द पदार्थ से कारित किया गया है। आवेदकगण दिनांक 28.01.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

7. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदकगण के न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदक प्रहलाद शर्मा एवं रीता देवी द्वारा दाखिल नियमित जमानत आवेदन दिनांक 27.02.2026 को स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदक द्वारा दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 27.02.2026 को विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10,000/–रूपये तथा समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 480(3) में वर्णित उपबंधों के पालन के वचन पत्र के साथ दाखिल करने पर स्वीकृत करने तथा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

कार्यालय आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार।

webcourtkatihar